सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01 / 564 / 2015 ऑनलाईन नम्बरः–2015 / 00721 प्रवेश तिथिः–29.04.2015

1. रामस्वरूप पुत्र बहादुर जाति मीना निवासी ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर
2. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदर टहला बतौर लैण्ड होल्डर

..................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर सत्यमेव जयते

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपस्थितः–श्री हजारी लाल मीना एडवोकेट–वादी
पैरोकार सरकार तहसीलदार टहला

–:निर्णयः– दिनांकः–25 / 11 / 2025

1. आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकंरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि सम्वत 2020 के साबिक आराजी खसरा संख्या 38 मिन, 44 बीघा 19 बिस्वा व 40 मिन जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत 2046–65 में खसरा संख्या 42 रकबा 3.65 है0 वो साबिक खसरा संख्या 40 मिन जिसके हाल खसरा नम्बर 725 रकबा 4.40 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। साबिक आराजी ,खसरा संख्या 38 मिन जिसके हाल खसरा संख्या 42 रकबा 3.65 है0 में तरफ पश्चिम में 4 बीघा यानी 1.00 है0 जो मुताबिक खसरा परिवर्तनशिल खसरा 42 / 1 रकबा 1.00 है. वो साबिक खसरा नम्बर 40 मिन जिसका हाल खसरा नम्बर 725 रकबा 4.40 है0 सालिम वाके ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ वर्ममान तहसील टहला जिला अलवर को वादी करीब 35 वर्ष काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और काबिज भी है। वो काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पास अपना वो अपने परिवार का गुजारा करने हेतु कोई भूमि काश्त के लिए नही होने के कारण वादी ने काफी जिस्मानी मेहनत कर वो रूपया लगा कर उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 38 मिन का 4 बीघा रकबा वो साबिक खसरा नम्बर 40 मिन का सालिम रकबा को काबिल काश्त बनाया है। जिसकी किस्म अब मुताबिक राजस्व रिकार्ड सिवायचक लगानी है। सम्वत 2046 लगायत 65 में प्रतिवादीगण वो उनके कर्मचारियान बन्दोवस्त ने गलत तौर पर उपरोक्त वादी के कब्जाशुद्वा खसरा नम्बरान वो रकबे का इन्द्राज प्रतिवादीगण के यानी सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया जबकि मुताबिक कब्जा काश्त मौका इन्द्राज वादी के हक में किया जाना चाहिए था। और इस प्रकार यह इन्द्राज बन्दोबस्त हाल गलत खिलाफ मौका वो कानून है। और बमुकबिले वादी वातिल वो बेअसर है। जो काबिल दुरूस्ती है। मौजुदा इन्द्राज बन्दोबस्त हाल प्रतिवादीगण के हक में कायम रहने से वादी के हकूक जायल होते है। और अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडता है। इस कारण कानूनन मुताबिक कब्जा काश्त अज 35 वर्षो से लगातार आज भी विवादित अराजी

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

ताबिक खसरा नम्बर 38 मिन जिसका हाल खसरा नम्बर 42 रकबा 3.65 है0 मे से जिसके 1.00 है0 रकबे तरफ पश्चिम जिसको वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जो अब मुताबिक इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील 42/1 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम खोह का वो साबिक खसरा संख्या 40 मिन जिसका हाल खसरा संख्या 725 रकबा 4.40 है0 वाके ग्राम खोह तहसील टहला का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये व उनके द्वारा जवाब व साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 42, 725 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर सिवायचक आराजी है। और मौके पर खाली है। वादी व वादी के पुर्वज भी कभी-भी खातेदारी या गैरखातेदारी या कब्जे मे नही रही है। मौके पर भूमि खाली है। वादी वादी काबिल खारीज होने योग्य है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी के जवाब के उपरान्त तनकीयात कायम करके सुनाई गई। जो इस प्रकार है-

1. *आया वादी हाल आराजी खसरा संख्या 42/3.65 है0 के रकबा 4 बीघा तरफ पश्चिम 725/4.40 है0 सालिम वाके ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला का खातेदार काश्मकार है। तथा रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।*

   ....वादी

2. *आया वादी विवादित आराजी के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।*

   .....वादी

3. *अन्य दादरसी।*

4. प्रकरण में वादी की ओर से दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये है जो इस प्रकार है-

- खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2020 प्रदर्श-1
- खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042 प्रदर्श- 2
- नकल खसरा गिरदावरी सम्वत प्रदर्श-3
- नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श-4
- नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2050 प्रदर्श-5
- नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2053 प्रदर्श-6
- नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2055 प्रदर्श- 7
- नकल खसराा परिवर्तनशील सम्वत 2054 प्रदर्श-8
- जमाबन्दी सम्वत 2049-52 प्रदर्श-9
- रसीद नोटिस प्रदर्श-10
- रसीद नोटिस श्रीमान जिलाधीश महोदय प्रदर्श-11

5. इसी प्रकार गवाह साक्ष्य के रूप में रामकरण पुत्र रघुनाथ, प्रभूदयाल पुत्र घासी राम, राजकुमार पुत्र विरदी चन्द, के साक्ष्य गवाह लेखबद्ध कराये गये जो शामिल मिसल है।

6. प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 का उद्धरण यहा प्रासंगिक प्रतीत होता है-

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

88. Suits for declaration of right— *(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

7. प्रकरण में वकील वादी की एकतरफा में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस वादी की ओर दावे के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण की साबिक कि सम्वत 2020 के साबिक आराजी खसरा संख्या 38 मिन, 44 बीघा 19 बिस्वा व 40 मिन जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत 2046–65 में खसरा संख्या 42 रकबा 3.65 है0 वो साबिक खसरा संख्या 40 मिन जिसके हाल खसरा नम्बर 725 रकबा 4.40 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। साबिक आराजी ,खसरा संख्या 38 मिन जिसके हाल खसरा संख्या 42 रकबा 3.65 है0 में तरफ पश्चिम में 4 बीघा यानी 1.00 है0 जो मुताबिक खसरा परिवर्तनशिल खसरा 42/1 रकबा 1.00 है. वो साबिक खसरा नम्बर 40 मिन जिसका हाल खसरा नम्बर 725 रकबा 4.40 है0 सालिम वाके ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ वर्ममान तहसील टहला जिला अलवर को वादी करीब 35 वर्ष काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और काबिज भी है। वो काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पास अपना वो अपने परिवार का गुजारा करने हेतु कोई भूमि काश्त के लिए नही होने के कारण वादी ने काफी जिस्मानी मेहनत कर वो रूपया लगा कर उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 38 मिन का 4 बीघा रकबा वो साबिक खसरा नम्बर 40 मिन का सालिम रकबा को काबिल काश्त बनाया है। जिसकी किस्म अब मुताबिक राजस्व रिकार्ड सिवायचक लगानी है। सम्वत 2046 लगायत 65 में प्रतिवादीगण वो उनके कर्मचारियान बन्दोबस्त ने गलत तौर पर उपरोक्त वादी के कब्जाशुद्धा खसरा नम्बरान वो रकबे का इन्द्राज प्रतिवादीगण के यानी सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया जबकि मुताबिक कब्जा काश्त मौका इन्द्राज वादी के हक में किया जाना चाहिए था। और इस प्रकार यह इन्द्राज बन्दोबस्त हाल गलत खिलाफ मौका वो कानून है। और बमुकबिले वादी बातिल वो बेअसर है। जो काबिल दुरुस्ती है। मौजुदा इन्द्राज बन्दोबस्त हाल प्रतिवादीगण के हक में कायम रहने से वादी के हकूक जायल होते है। और अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडता है। इस कारण कानूनन मुताबिक कब्जा काश्त अज 35 वर्षो से लगातार आज भी विवादित अराजी साबिक खसरा नम्बर 38 मिन जिसका हाल खसरा नम्बर 42 रकवा 3.65 है0 मे से जिसके 1.00 है0 रकवे तरफ पश्चिम जिसको वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जो अव मुताविक इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील 42/1 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम खोह का वो साविक खसरा संख्या 40 मिन जिसका हाल खसरा संख्या 725 का सालिम रकबा 4.40 है0 वाके ग्राम खोह तहसील टहला का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

इसी प्रकार प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व साबिक रिकार्ड सम्वत् 2046 से पूर्व व पश्चात् की दर्ज प्रविष्टि का अवलोकन करना अति आवश्यक है जो इस प्रकार से है कि–

क्र. स.	सम्वत् 2046 से पूर्व के साबिक खसरा संख्या एवं रकबा	सम्वत् 2046 के पश्चात् के खसरा संख्या व रकबा
1	38 मिन रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा 40 मिन	42 रकबा 3.65 है0 में से 1.00 है0 725 रकबा 4.40 है0

9. बहस वकील वादी व पैराकार तथा पर मनन किया गया। और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2020, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2042, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2050, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2053, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2055, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2054, जमावन्दी सम्वत 2049–52, रसीद नोटिस, रसीद नोटिस श्रीमान जिलाधीश महोदय के *वाद अवलोकन स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी नही है।* इन आधारों पर भी वादी का प्रकरण साबित नहीं होता है। साथ ही राजकीय भूमि होने से वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति का प्रश्न मौजूद नही है। साबिक खसरा संख्या 38 मिन 44 बीघा 19 बिस्वा के तरफ पश्चिम 4 बीघा व खसरा नम्बर 40 मिन रकबा 4.40 है0 के अनुसार पूर्व से उपरोक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। पैरोकार के जवाव व उक्त उद्धरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अवलोकरन व मनन के वाद गौर व अवलोकन से दावा वादी जो काबिल–ए–दुरुस्त योग्य उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर साबित नही होने के कारण दावा वादी वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला खारीज/अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 25/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01 / 564 / 2015 ऑनलाईन नम्बरः–2015 / 00721 प्रवेश तिथिः–29.04.2015

1. रामस्वरूप पुत्र बहादुर जाति मीना निवासी ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर
2. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदर टहला बतौर लैण्ड होल्डर ....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपस्थितः–श्री हजारी लाल मीना एडवोकेट–वादी
पैरोकार सरकार तहसीलदार टहला

दिनांकः–25 / 11 / 2025

पर्चा डिक्री

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर साबित नही होने के कारण दावा वादी वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला खारीज/अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 25 / 11 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते